



(113)

**कार्यालय :- अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची**

वन भवन, डोरण्डा, राँची

E-mail :- addlpcfdevelopment@gmail.com, Phone & Fax No. 0651-2481813



पत्रांक : 01/यो0बजट-47/2015- 699 दिनांक : 19.05.2016

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची ।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, धनबाद वन प्रमण्डल, धनबाद/ बोकारो वन प्रमण्डल, बोकारो/ रामगढ़ वन प्रमण्डल, रामगढ़/ गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/ गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल, गिरिडीह/ देवघर वन प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, देवघर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, हजारीबाग/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, कोडरमा

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2021-22 के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अन्य व्यय) के अंतर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) के लिए कुल **रु0 115.299 लाख (एक करोड़ पन्द्रह लाख उनतीस हजार नौ सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment) ।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0बजट-66/2015-07/ व0प0 दिनांक 12.06.2015 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0बजट-66/2015-05/आ0 व0प0 दिनांक 24.04.2016 ।

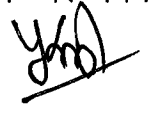
महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406- वानिकी एवं वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष- 101 वन संरक्षण, विकास तथा सम्पोषण, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल **रु0 115.299 लाख (एक करोड़ पन्द्रह लाख उनतीस हजार नौ सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19P240601101580103	102.669
आपूर्ति एवं सामग्री	19P240601101580323	12.630
कुल :-		115.299

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** एवं कार्यदर **अनुलग्नक-3** पर द्रष्टव्य है।

3. इस कार्यालय के पत्रांक 545 दिनांक 14.04.2016 द्वारा 221.61 रु0 प्रति मानव दिवस के आधार पर राशि की माँग की गई थी। लेकिन सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राप्त प्रशासनिक स्वीकृति 206.17 रु0 प्रति मानव दिवस पर आवंटन उपलब्ध करायी गयी है। वर्तमान में प्राप्त आवंटन के अनुरूप मजदूरी दर 206.17 रु0 प्रति मानव दिवस के अनुरूप उप आवंटन की जा रही है, शेष राशि 15.44 रु0 प्रति मानव दिवस के आधार पर सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त मजदूरी मद की राशि उप आवंटित की जायेगी।
4. इस योजना का कोड संख्या— पी0 19P240601101580103 तथा पी0 19P240601101580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।
5. राशि की निकासी संबंधित जिले के कोषागार/ उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।
6. वन प्रमण्डलों द्वारा "स्थल विशेष प्राक्कलन" श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 की निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर एवं कार्य दरों पर तैयार किया जायेगा तथा प्राक्कलन पर वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 564 दिनांक 18.02.2008 के अनुसार प्रशासनिक अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति सक्षम वन पदाधिकारियों द्वारा प्रदान की जायेगी। एक प्रति अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास कार्यालय को समर्पित करेंगे।
नियंत्री तथा व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना का भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य प्रशासनिक स्वीकृति के अनुरूप ही रखा जायेगा तथा राशि का व्यय वास्तविक रूप से स्थल विशेष प्राक्कलन पर प्रदत्त तकनीकी स्वीकृति एवं प्रशासनिक अनुमोदन तक सीमित रखा जायेगा।
7. स्वीकृत की जा रही राशि का आवंटन मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची की अधिसूचना संख्या 301 दिनांक 11.03.2015 के आलोक में वन एवं पर्यावरण विभाग के स्तर से निर्गत किया जायेगा।
8. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण सुनिश्चित किया जायेगा। योजनान्तर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को अवगत कराया जायेगा।
9. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 के आलोक में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में उप आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा तथा एतद् संबंधी पत्र-परिपत्र का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
10. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा कोषागार संहिता के नियम-300 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़ता पूर्वक किया जायेगा।
11. योजना में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देशों एवं वित्तीय नियमों के अनुरूप की जायेगी।



12. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनायें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

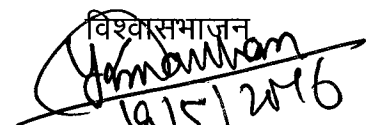
17. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

18. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

 15/12/16
 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची

12. नियंत्रि तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना संबंधित पदाधिकारी या विभाग को तुरंत देंगे।

13. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, कि दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा।

14. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाएगी।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

16. तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त स्थल विशेष योजनायें अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक द्वारा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक विकास कार्यालय में समर्पित करने के उपरान्त ही आवंटित राशि व्यय की जायेगी।

17. पूर्व प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि के अनुसार वन प्रमण्डलों को राशि आवंटित की जायेगी, किन्तु योजनाओं का व्यय "स्थल विशेष प्राक्कलन" योजना की तकनीकी एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त राशि तक सीमित रखा जायेगा।

18. रोपित पौधों/ वृक्षों में जीवित पौधों की आवश्यकतानुसार जाँच/ सत्यापन असम्बद्ध प्रमण्डल से कराई जायेगी।

19. वृक्षारोपण के जीवित पौधों के प्रतिशत का आँकड़ा वर्षवार विभागीय Website पर फोटो के साथ डाला जाय तथा इसकी सूचना सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

20. मजदूरों का भुगतान श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा निर्धारित अद्यतन न्यूनतम मजदूरी दर के अनुरूप किया जायेगा तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों का भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते/ डाकघर खाते के माध्यम से ही किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक— 01/यो0बजट—47/2015— 699 दिनांक— 19.05.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह/ देवघर/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।


19/5/2016
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/ संथाल परगना, दुमका/ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, बोकारो/ दुमका/ वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, बोकारो/ गिरिडीह/ देवघर/ एनवीस सेन्टर, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

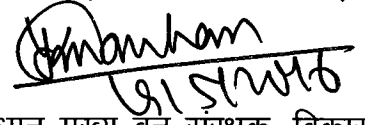
ह0/-

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0बजट-47/2015- 699 दिनांक- 19.05.2016

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, धनबाद/ बोकारो/ रामगढ़/ गिरिडीह/ देवघर/ हजारीबाग/ कोडरमा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

अनुलग्नक-1

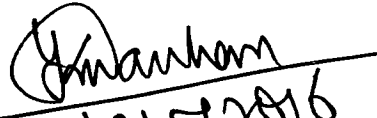
वित्तीय वर्ष 2016-17 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (पुरानी-भू-संरक्षण एवं वनरोपण योजना) (अन्य व्यय) के अन्तर्गत शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य (मजदूरी दर : ₹0 221.61 प्रति मानव दिवस)

राशि (₹0 लाख में)

क्र. सं.	कार्यालय/ प्रमण्डल का नाम	भौतिक लक्ष्य (हे०)	मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
i	ii	iii	iv	v	vi
1	धनबाद वन प्रमण्डल	29.00	9.635	1.184	10.819
2	बोकारो वन प्रमण्डल	60.00	19.935	2.453	22.388
3	रामगढ़ वन प्रमण्डल	60.00	19.935	2.453	22.388
4	गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल	30.00	9.968	1.226	11.194
5	गिरिडीह पश्चिमी वन प्रमण्डल	30.00	9.968	1.226	11.194
6	देवघर वन प्रमण्डल	25.00	8.307	1.022	9.329
7	सा0वा0 प्रमण्डल, देवघर	25.00	8.307	1.022	9.329
8	सा0वा0 प्रमण्डल, हजारीबाग	25.00	8.307	1.022	9.329
9	सा0सा0 प्रमण्डल, कोडरमा	25.00	8.307	1.022	9.329
योग :-		309.00	102.669	12.630	115.299

विभागीय स्वीकृतिदेश संख्या 04/यो0ब0-66/2015- 07 दिनांक 12.06.2015

नोट :- वर्तमान में प्राप्त आवंटन के अनुरूप मजदूरी दर 206.17 ₹0 प्रति मानव दिवस के अनुरूप उप आवंटन की जा रही है, शेष राशि 15.44 ₹0 प्रति मानव दिवस के आधार पर सरकार से आवंटन प्राप्त होने के उपरान्त मजदूरी मद की राशि उप आवंटित की जायेगी।


 अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
 झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

106

चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 01/YB-47/15/699

दिनांक - 19-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27394	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	963,500.00 रुपये नौ लाख तीरसठ हजार पाँच सैं
2	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27396	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO	1,993,500.00 रुपये उन्नीस लाख तिरनावे हजार पाँच सैं
3	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27399	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	1,993,500.00 रुपये उन्नीस लाख तिरनावे हजार पाँच सैं

योग:

4,950,500.00

क्रमिक योग:

रुपये उगचास लाख पचास हजार पाँच सैं

(Signature)
6/5/2016

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADD: PCCF, DEV. JHARKHAND

105)

पत्र संख्या - 01/YB-47/15/699

दिनांक - 19-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27401	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	996,800.00 रुपये नौ लाख छयानवे हजार आठ सैं 
5	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27404	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	996,800.00 रुपये नौ लाख छयानवे हजार आठ सैं 
6	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27407	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	830,700.00 रुपये आठ लाख तीस हजार सात सैं 
7	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27411	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	830,700.00 रुपये आठ लाख तीस हजार सात सैं 

योग:

3,655,000.00

क्रमिक योग:

रुपये छियासी लाख पाँच हजार पाँच सैं

8,605,500.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUNAN IPS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

(104)

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
8	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27412	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	830,700.00 रुपये आठ लाख तीस हजार सात सैं
9	P 19 240601101580103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते 03 - मजदूरी	27416	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	830,700.00 रुपये आठ लाख तीस हजार सात सैं
10	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27425	DHNFOR001 SRI SOURAV CHANDRA DIVISIONAL FOREST OFFICER	118,400.00 रुपये एक लाख अठारह हजार चार सैं
11	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27428	BKRFOR001 VIJAY KUMAR D F O, BOKARO	245,300.00 रुपये दो लाख पैंतालीस हजार तीन सैं

योग:

2,025,100.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड छः लाख तीस हजार छः सौ

10,630,600.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.,HARKHAND

103)

पत्र संख्या -

01/YB-47/15/699

दिनांक -

19-May

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं०	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
12	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27429	HZBFOR001 DIV. FOREST OFFICER RAMGARH DIV. FOREST OFFICER	245,300.00 रुपये दो लाख पैंतालीस हजार तीन सैं
13	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27430	GRDFOR001 KUMAR ASHISH DFO GIRIDIH EAST FOR.DIV.	122,600.00 रुपये एक लाख बाइस हजार छः सैं
14	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27432	GRDFOR003 SRI JANARDAN PRASAD KESHRI D.F.O. GIRIDIH WEST FOR. DIV.	122,600.00 रुपये एक लाख बाइस हजार छः सैं
15	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27435	DGRFORE88 MAMTA PRIYADARSHI DFO DEO.FOR.DIV.DEO.	102,200.00 रुपये एक लाख दो हजार दो सैं

योग:

592,700.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड बारह लाख तेइस हजार तीन सैं

11,223,300.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं0	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27442	DGRFORE87 MANEL TUDU D.F.O. S.F.DIV.. DGR	102,200.00 रुपये एक लाख दो हजार दो सैं
17	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27451	HZBFWL007 SHREE BHAGWAN MISHRA, I.F.S. D.F.O., S. F. DIV., HAZARIBAG	102,200.00 रुपये एक लाख दो हजार दो सैं
18	P 19 240601101580323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 101 - वन संरक्षण, विकास तथा संपोषण 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	27454	KDMFORA02 RAMESH PRASAD KAMAL D.F.O (S.F.) KODERMA	102,200.00 रुपये एक लाख दो हजार दो सैं

योग:

306,600.00

क्रमिक योग:

रुपये एक करोड पंद्रह लाख उन्तीस हजार नौ सौ

11,529,900.00

(SHRI.Y.K.SINGH CHAUHAN IFS)

ADDI.PCCF.DEV.JHARKHAND

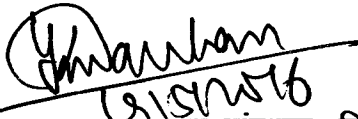
शीघ्र बढ़ने वाले पौधों का रोपण का कार्य दर
योजना का नाम : 2500 पौधे का वृक्षारोपण

पौधों की संख्या प्रति हे० : 2500 पौधे

पौधों की दूरी : 2 मी० x 2 मी०

मजदूरी दर 221.61 प्रति मानव दिवस

क्रम	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० में)	सामग्री (रु० में)	कुल व्यय (रु० में)	अभियुक्ति
i	ii	iii	iv	v	vi	vii	viii
(A)	द्वितीय वर्ष 2016-17 में समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)						
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हे०	32.5	7202.33	0.00	7202.33	
2	वृक्षारोपण	हे०	55	12188.55		12188.55	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हे०	62.5	13850.63	0.00	13850.63	
4	ट्रेंच के बर्म पर घेरान हेतु बीज रोपण	हे०	2	443.22	0.00	443.22	प्रति हे० औसत 6 चेन ट्रेंच का घेरान
5	पौधों की सुरक्षा						
5.1	30 हे० तक	हे०	9.16	2029.95		2029.95	
5.2	30 हे० से 60 हे० तक						
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, कम्पोस्ट खाद, डी०ए०पी० / यूरिया, जैविक खाद, किटनासक आदि)	हे०	0.00	0.00	3937.50	3937.50	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)	हे०	0.00	0.00	150.00	150.00	
योग :-			161.16	35714.67	4087.50	39802.17	


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची